Original Research Paper ACHARYA RAVISHESH

आचार्य रविषेण पद्मपुराण में मन्त्रिमण्डल एवं प्रशासन तन्त्र

Dr. B.L. Sethi M. Phil., Ph. D., D.Litt., Director, Trilok Institute of Higher Studies and Research Hotel Om Tower, Church Road M.I. Road, Jaipur-302001.

Dr. Prakash Sharma Lecturer Seth Moti Lal PG Collage, JHUNJHUNU.

KEYWORDS : .

पद्मपुराण में मन्त्री को सचिव नाम से भी वर्णित किया है।[1] राज्य कार्यों के समुचित संचालन के लिए एक मंत्रिमण्डल होता था। इस मन्त्रिमण्डल में कितने मंत्री होते थे, इसकी निष्चित संख्या नहीं बताई गई है।

मंत्रियों के कार्य :–
मंत्रियों के कर्तव्य व अधिकार व्यापक थे। मंत्रियों के प्रमुख कर्तव्य इस प्रकार बताये जा सकते है।

(1) **राजा के हित में परामर्ष देना** :– पद्मपुराण के अनुसार राजा के हित में परामर्श करना मन्त्रियों का कर्तव्य था। रविषेण लिखते हैं कि मन्त्रियों को यथार्थ व हितकारी बात निर्भीक होकर करनी चाहिये। एवं राज्य हित से प्रेरित होकर ही अपना परामर्श देना चाहिए। नीतिवाक्यामृतम में वर्णन है कि इच्छा के विघात होने से स्वामी को कष्ट पहुचाना उत्तम है, परन्तु अकर्तव्य का उपदेश देकर उसका नाश करना अच्छा नहीं। मन्त्री को चाटुकार नहीं होना चाहिए, गुणनद्राचार्य ने उत्तर पुराण में मंत्रियों के दो कार्य बताये हैं राजा को हितकारी कार्य में प्रवृत करना और अहितकारी कार्य का निषेध करना। इस प्रकार मन्त्री राजा की इच्छानुसार अकर्त्तव्य को भी कर्त्तव्य बतलाता है वह मन्त्री नहीं किन्तु शत्रु समझा जाता था। (2) राज्याभिषेक की तैयारी करवाना राज्य उत्तराधिकारी नियत करना राजा का अधिकार था परन्तु राजा उत्तराधिकारी निश्चित करने के बाद राज्याभिषेक की तैयारी करने के आदेश मंत्रियों को देता था।[2]

(3) **संन्धि एवं विग्रह का परामर्ष देना** :– युद्ध व सन्धि जैसे विदेश नीति विषयक मामलों में भी मंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जहां युद्ध की मन्त्रणा मन्त्रियों के साथ होती थी वहीं संधि करने का परामर्श भी मंत्री ही देते थे।

कभी मन्त्रणा स्वीकार कर ली जाती थी व कई बार अस्वीकार भी कर दी जाती थी। इस विषय में राजा पर दबाव नहीं डाला जा सकता था। किसी विषय पर विषम स्थिति पैदा होने पर कई बार मंत्रीगण महिषी रानी से निवेदन करते थे कि वह राजा को परामर्श दे।

अकारण युद्ध होते देख नीतिज्ञ मंत्रिगण शत्रु के प्रति राजा को क्षमाभाव धारण करवा देते थे। किसी देश से युद्ध करना हितकर है या नहीं, इस विषय पर भी मंत्रीगण विचार विमर्श करते थे। यदि राजा आगा पीछा सोचे बिना किसी राज्य से युद्ध करना चाहता तो नीति की यथार्थता को जानने वाला मंत्रिमण्डल उसे रोक देता था। शत्रु की वास्तविक ताकत का पता लगवाना मंत्रियों का दायित्व था। इसीलिए गुप्तचर लोग मंत्रियों के आदेश से भी अन्य राज्यों में गुप्तचरी करने जाते थे।

(4) राजकन्याओं के लिए योग्य वर के चयन में परामर्श देना :– संभवतः राजकन्याओं के लिए सुयोग्य वर का निष्चय करने में मंत्रियों का परामर्श एक महत्व पूर्ण स्थान रखता था। राजकुमारियों के सुयोग्य वर विषय प्रश्न का अंतिम निर्णय मंत्रियों से परामर्श करके किया जाता था।[3]

मन्त्रियों के गुण या योग्यताएं
मन्त्रियों की नियुक्ति में उनकी योग्यता को प्रमुखता दी जाती थी। कभी कभी मंत्री की नियुक्ति पैतृक आधार पर भी की जाती थी। इस प्रकार की नियुक्तियों से राजा को उनके पैतृक गुणों का लाभ मिल जाता था। मंत्रियों की योग्यता की परीक्षा किस आधार पर ली जाती थी, इस विषय में पद्मपुराण में कोई उल्लेख नहीं है, यद्यपि उत्तर पुराण में वर्णन है कि राजा द्वारा मन्त्री की अच्छी परीक्षा ली जाती थी। गुणभद्राचार्य ने उत्तर पुराण में इस विषय पर प्रकाश डाला है। उत्तर पुराण के वर्णनानुसार मंत्रियों की योग्यता की परीक्षा चार प्रकार की उपधानों (गुप्त उपायों) तथा जाति आदि गुणों से करनी चाहिए। ये चार उपधायें हैं – (1) धर्मोपधा, (2) अर्योपधा, (3) कामोपधा, (4) भयोपधा। कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णन है कि अमात्य को स्वदेशोत्पन्न, सत्कुलीन अवगुणशून्य, निमुण सवार एवं ललितकलाओं का ज्ञाता, अर्थशास्त्र का विद्वान, बुद्धि, मान, स्मरण, शक्ति, सम्पन्न, चतुर, वाकपटु, प्रगल्भ, प्रतिवाद व प्रतीकार करने में समर्थ, उत्साही, प्रभावशाली,सहिष्णु, पवित्र, मित्रता के योग्य दृढ स्वामिभक्त, सुशील, समर्थ, स्वस्थ, धैर्यवान, निरभिमानी, स्थिर प्रकृति, प्रियदर्शी और द्वेष रहित होना चाहिए। अर्थशास्त्र में अन्यत्र उल्लेख है कि मन्त्री की नियुक्ति से पूर्व राजा उनकी प्रमाणिक, सत्यवादी एवं आप्तपुरूषों के द्वारा उनके निवास स्थान व उसकी आर्थिक स्थिति का, सहपाठियों के माध्यम से उनकी योग्यता तथा शास्त्र प्रवेश का नये नये कार्यों में नियुक्त कर उनकी बुद्धि, स्मृति, तथा चतुराई का, व्याख्यानों एवं सभाओं के माध्यम से उनकी वाकपटुता प्रगल्भता एवं प्रतिभा का तथा सहिष्णुता का, व्यवहार से उनकी पवित्रता मित्रता एवं दृढ स्वामीभक्ति का, साहवासियों एवं पड़ोसियों के माध्यम से उनके शील, बल स्वाध्याय , गौरव अप्रमाद तथा स्थिर वृति का पता लगाये और उनके मधुरभाषी स्वभाव तथा द्वेष रहित प्रकृति की परीक्षा राजा स्वयं करे। प्रत्यय, परोक्ष और अनुमेय राजा के व्यवहार की तीन विधियां है। स्वयं देखा हुआ प्रत्यय, दूसरे के माध्यम से जाना हुआ परोक्ष, सम्यादित कार्यों से किये जाने वाले कार्यों का अनुमान करना ही अनुमेय है।पद्मपुराण में भी मन्त्रियें के दो गुण उल्लिखित है।– प्रथम बुद्धि का सूक्ष्म होना, द्वितीय नीति के विस्तार में निपुणता। मन्त्री के लिए अपेक्षित गुण बताते हुए सोमदेव सूरि लिखते हैं कि जो ब्राह्मण , क्षत्रिय और वेश्य इन तीन वर्णों में से किसी एक वर्ण का हो, किन्तु शूद्र न हो। जो विदेशी न हो, जो समस्त नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र का ज्ञाता हो व अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो, वह मन्त्री बनाने योग्य है।[4]

मन्त्रियों का महत्व
कौटिल्य ने मंत्री या अमात्य का महत्व बताते हुए लिखा है कि जिस प्रकार रथ एक पहिये से नहीं चल सकता, उसी प्रकार राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये राजा को भी सचिव रूपी दूसरे चक्र की आवश्यकता होती है। मनुस्मृति,[5] रामायण,[6] महाभारत[7] आदि ग्रंथों में भी अमात्य का महत्व स्वीकार किया गया है। कथासरित्सागर में अमात्य का पद बड़ा गरिमापूर्ण बताया गया है। उल्लेख है कि मंत्री का कार्य केवल राजा की हां में हां मिलाना नहीं है। उसका प्रथम कर्त्तव्य राजकार्य की चिन्ता करना है। गुणभद्र उत्तर पुराण में लिखते हैं कि राजा प्रजा का रक्षक है इसलिए जब तक प्रजा की रक्षा करने में समर्थ होता है, तभी तक राजा रहता है। यदि राजा इससे विपरीत आचरण करता है तो सचिवादि उसे त्याग देते हैं। इस तरह मंत्रियों का स्थान महत्वपूर्ण था। पद्मपुराण में वर्णन है कि राजा,मंत्रियों का खजाना, देश, नगर व प्रजा को सौंपकर बाहर चला गया। उत्तर पुराण में भी उल्लेख है कि राजा अपराजित ने अपने मंत्रियों पर स्वराष्ट्र व परराष्ट्र की चिन्ता रखकर स्वयं शास्त्रोक्त मार्ग से धर्म तथा काम में लीन हो गया। इस प्रकार के विवरण यह प्रकट करते है। कि रविषेण के समकालीन भारत में मंत्री परिषद् की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ग्रंथ में उल्लेख है कि किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर राजा उतावलेपन में आकर निर्णय नहीं करे, अपितु इस विषय में मंत्रियों से सलाह करें। गंभीर विषय पर सभी मंत्रियों से परामर्श नहीं किया जाता था, अपितु कुछ निकटस्थ मंत्रियों से ही परामर्श किया जाता था। गंभीर विषयों पर मंत्रणा करते समय पुरोहित , नगर सेठ (नगर श्रेष्ठि) अन्य संभ्रान्तगण भी मंत्रियों के साथ बुलाये जाते थे। उद्योतनसूरि ने मंत्रिपरिषद के लिए ''वासव–सभा'' शब्द का प्रयोग किया है, जो राजा को परामर्श देती थी , तथा जिसमें सभी विषयों के जानकार मंत्री सदस्य होते थे। नगरश्रेष्ठीका भी राजनीति पर विशेष प्रभाव था। कई बार संकटकालीन बैठक आमन्त्रित की जाती थी। मन्त्री बहुत कर्त्तव्यनिष्ठ, स्वामिभक्त व योग्य होते थे तभी राजा लोग राज्यभार उन्हे सौंपकर बाहर चले जाते थे। कभी कभी मंत्रीगण शक्तिशाली होकर राजा को अपदस्थ करने का प्रयास भी करते थे। राजा रतिवर्धन के प्रसंग में ऐसा ही हुआ था। ऐसे मंत्री अन्य विद्रोही सामान्तों की सहायता से अपने स्वामी राजा का घात करने का प्रयास करते थे। इस प्रकार पूर्वमध्यकालीन भारत में भी गुप्तकाल की भांति मंत्रीपरिषद् का महत्व बना रहा।

संदर्भ सूची

1. रामायण, अयोध्याकाण्ड, 67/29.
2. पदमपुराण, 109/157.
3. उत्तरपुराण, 50/3.
4. पदमपुराण पु., 96/46.
5. उत्तरपुराण, 62/30.
6. पदमपुराण 12/159.
7. पदमपुराण 52/2–3.